सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 22, मंगलवार, *शाके 1946*- फरवरी 11, 2025 *Magha 22, Tuesday, Saka 1946- February 11, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2025

जी.एस.आर.110 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 से सलंग्न अनुसूची में शीर्ष **राजस्थान विधानसभा सचिवालय सेवा** के अधीन, विद्यमान क्रम संख्यांक 2क और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्याक 2ख और उसकी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

2ख.	मुख्य सम्पादक	100% पदोन्नति द्वारा	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव	सम्पादक, वाद विवाद /मुद्रण	वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर	पदोन्नति, अध्यक्ष द्वारा गठित की गयी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर की जायेगी। पद के लिए उपयुक्तता निर्णीत करने के प्रयोजन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति, अभ्यर्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेखों पर विचार करेगी।

"

[सं.एफ.8(1)संसद/20 09पार्ट]
राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, February 11, 2025

G.S.R.110 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, hereby please to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, under the heading Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service, after the existing serial number 2A and entries thereto and before the existing serial number 3 and entries thereto, the following new serial number 2B and entries thereto shall be inserted, namely:-

"

2B.	Chief Editor	100% by promotion	3 years experience on the post mentioned in column 5	Editor of Debates/ Printing	On the basis of seniority cum merit	Promotion shall be made on the recommendations made by the Departmental Promotion Committee constituted by the Speaker. For the purpose of judging the suitability for the post, the Departmental Promotion Committee shall consider the Annual Performance Assessment Report and other service records of the candidate.

"

[No. F.8 (1)Sansad/2009 Part]
By order of the Governor,

Brajendra Jain,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.